बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

पत्रांक : 10/व 1–39/2014.......... पटना, दिनांक....................2014

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हक०)
बिहार, पटना।

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार।

आदेश : स्वीकृत।

विषय : राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 205 मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2014–15 के नियत मानदेय भुगतान हेतु ₹15,00,00,000/– (पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं तत्काल चार माह के नियत मानदेय भुगतान हेतु ₹4,99,95,000/– (चार करोड़ निन्यानवें लाख पन्चानवें हजार) रूपये मात्र का सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा निबंधित 2459 कोटि के मदरसों में से विभागीय संकल्प संख्या–1090 दिनांक–29.11.1980 एवं विभागीय संकल्प संख्या–162 दिनांक–15.02.2011 में विनिर्दिष्ट शर्त्तो के आलोक में राज्य सरकार ने गहनजाँचोपरान्त204 मदरसों (199 वस्तानिया एवं 05 फौकानिया स्तर) को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रस्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

2. विभागीय संकल्प संख्या–1090 दिनांक–29.11.1980,162 दिनांक–15.02.2011 तथा कार्यालय आदेश संख्या–536 दिनांक–01.07.2011 में विनिर्दिष्ट शर्त्तो के आलोक में राज्य सरकार ने गोपालगंज जिलान्तर्गत उचका गांव प्रखण्ड के लुहिसी पंचायत में अवस्थित मदरसा इमदादुल उलूम, कपरपूरा (फौकानिया स्तर) को दिनांक 28.06.2010 से प्रस्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

3. उपर्युक्त 205 जाँचोपरान्त अर्हत्ता प्राप्त निबंधित एवम् प्रस्वीकृत मदरसों को विभागीय संकल्प संख्या–162 दिनांक–15.02.2011 सहपठित विभागीय संकल्प संख्या–1010 एवं 1011 दिनांक–16.09.2013 के आलोक में विधिवत रूप से नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को निर्दिष्ट नियत वेतन भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान देय होगा। मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन हेतु सहाय्य अनुदान की स्वीकृति के निमित नियत वेतन की दर वही होगी जो राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित करेगी।

4. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 205 मदरसों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के नियत मानदेय भुगतान हेतु ₹15,00,00,000/– (पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति से तत्काल चार माह के नियत मानदेय भुगतान हेतु ₹4,99,95,000/– (चार करोड़ निन्यानवें लाख पन्चानवें हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की जाती है।

5. यह राशि वित्तीय वर्ष 2014–15 में आय–व्यय मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–05–भाषा विकास, लघु शीर्ष–200–अन्य भाषाओं की शिक्षा, उप शीर्ष–0002–गैर सरकारी मदरसा, विपत्र कोड N 220205200002 अन्तर्गत विषय शीर्ष–31 04–सहायक अनुदान वेतन से विकलनीय होगा।

6. सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना 205 अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को उनके बैंक खातों में वेतनादि का भुगतान निम्नांकित बिन्दुओं के अनुपालन की शर्त्तो पर करेंगे :–

(क) उपर्युक्त अंकित 205 मदरसों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी कोबिहार राज्य मदरसा वित्तीय सहायता नियमावली–2013 की कंडिका 4.4 में अंकित राज्य सरकार द्वारा सहाय्य अनुदान के भुगतान हेतु सूचीबद्ध मदरसों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन भुगतान बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने का निर्णय घोषित है।

(ख) नियत वेतन के लिए राज्य सरकार का अनुदान अधिसूचना की तिथि यानी दिनांक–23.09.2013 से देय होगा।

(ग) स्वीकृत राशि के वितरण की सारी जवाबदेही सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना की होगी। स्वीकृत राशि से वित्तीय वर्ष 2014–15 के तत्काल चार माह वेतनादि का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या–1010 एवं 1011 दिनांक–16.09.2013 एवं 1037 दिनांक 23.09.2013 के आलोक में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को निर्दिष्ट नियत वेतन भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान देय होगा।

(घ) सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना स्वीकृत राशि का लेखा–जोखा बिलकुल अलग रखेंगे।सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना को उपयोगिता प्रमाण पत्र में प्रमाणित करना होगा कि उनके द्वारा विधिवत संचालित मदरसों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मीका वेतन भुगतान किया गया है एवं भुगतान के उपरान्त विहित प्रपत्र (फार्म–42 ए० पुनरीक्षित) में उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में विभाग के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हक०) बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।

7. राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना को राशि उपलब्ध कराया जायेगा।

8. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. स्वीकृत राशि का आवंटनादेश निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया जायगा।

10. स्वीकृत एवं आवंटित राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायगा और संबंधित मदरसा से अंकेक्षित लेखा विवरणी प्राप्त कर यथासमय महालेखाकार कार्यालय को भेजा जायगा।

11. भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एवं वित्त (अंकेक्षक एवं लेखा) को यह अधिकार होगा कि स्वीकृत राशि के लेखा–जोखा का अंकेक्षण करेंगे।

12. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका पृष्ठ–15/टि० द्वारा प्राप्त कर ली गयी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

संयुक्त सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 10/व 1–39/2014.......... पटना, दिनांक.........................2014

प्रतिलिपि : कोषागाार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

संयुक्त सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 10/व 1–39/2014–17 पटना, दिनांक 08/07/2014

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अवकाश रक्षित पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/सभी कोषागार पदाधिकारी/अध्यक्ष/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–10/अवर सचिव–सह–आय–व्यय पदाधिकारी, मा0 शिक्षा/रोकड़पाल/लेखापाल/विपत्र लिपिक (दो प्रतियों में)/प्रशाखा पदाधिकारी–05, /आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा एवं अंकेक्षण एवं लेखा शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।